RBE No.188/2003

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
(RAILWAY BOARD) (रेलवे बोर्ड)

No. E(W)/2000PS5-8/3 **New Delhi, the30 October, 2003**

General Managers,
All Indian Railways including Metro Railway, Kolkata
and Production Units.

Sub : Grant of Post Retirement Complimentary Pass to the canteen employees.

During the course of implementation of Supreme Court's judgement dated 27.2.1990 in the case of canteen employees (M.M.R. Khan and others Vs. UOI), Board, vide letter No.E(W)90CN1-8 dated 19.11.1990, had communicated decision to count the service rendered by the employees of statutory and non-statutory recognised (subsidized) canteens prior to 22.10.1980 and 1.4.1990 respectively, to the extent it qualifies for pensionary benefits, as per rules. The question of extending the similar benefit for the purpose of grant of Post-Retirement Complimentary Passes to the canteen employees has been engaging the attention of Board.

Board, after considering various representations and certain decisions of the Courts, have decided that the service rendered by the employees of statutory and non-statutory recognised (subsidized) canteens prior to 22.10.1980 and 1.4.1990 respectively, shall be counted for the purpose of eligibility for Post-Retirement Complimentary Passes, to the extent their service after these cut off dates falls short of 20 years, which is the minimum service prescribed for this purpose. The other conditions in the matter shall be as per extant rules.

This issues with concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Please acknowledge receipt.

PNKumaran

(P.N. Kumaran)
Dy. Director/Estt. (Welfare)
Railway Board

आर बी ई सं. 188/2003

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (डब्ल्यू)/2000 पी एस 5-8/3 **नई दिल्ली, दिनांक :** 30-10-2003

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें तथा मेट्रो रेल, कोलकाता
तथा उत्पादन इकाइयां.

विषय : **कैंटीन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत मानार्थ पास प्रदान करना.**

कैंटीन कर्मचारियों (एम.एम.आर. खान तथा अन्य बनाम भारत संघ) के मामले में उच्चतम न्यायालय के 27.2.1990 के निर्णय को लागू करने के दौरान, बोर्ड ने 19.11.1990 के पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 90 सी एन 1-8 के द्वारा सांविधिक तथा गैर-सांविधिक मान्यताप्राप्त (आर्थिक सहायता प्राप्त) कैंटीनों के कर्मचारियों द्वारा क्रमश: 22.10.1980 और 1.4.1990 से पूर्व तक की गई सेवा की नियमों के अनुसार पेंशन संबंधी हितलाभ प्राप्त करने के लिए अर्हक होने की सीमा तक, गणना करने के निर्णय को संसूचित किया था. कैंटीन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत मानार्थ पास प्रदान करने के प्रयोजन के लिए समान हितलाभ प्रदान करने का प्रश्न बोर्ड के ध्यानार्थ लाया गया है.

बोर्ड ने विभिन्न अभ्यावेदनों तथा न्यायालयों के कतिपय निर्णयों पर विचार करने के बाद यह विनिश्चय किया है कि सांविधिक तथा गैर-सांविधिक मान्यताप्राप्त (आर्थिक सहायता प्राप्त) कैंटीनों के कर्मचारियों द्वारा क्रमश: 22.10.1980 तथा 1.4.1980 से पूर्व की गई सेवा सेवानिवृत्ति-उपरांत मानार्थ पासों की पात्रता के लिए उस सीमा तक गिनी जाएगी जिस सीमा तक उनकी सेवा इन निर्धारित तारीखों के बाद 20 वर्षों से कम पड़ती है. इस मामले में अन्य शर्तें मौजूदा नियमों के अनुसार होगी.

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

कृपया इस पत्र की पावती दें.

पी.एन. कुमारन

(पी.एन. कुमारन्)
उप निदेशक/स्था. (कल्याण)
रेलवे बोर्ड